भारतीय कपास निगम लिमिटेड

भा.क.नि.
CCI

The Cotton Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक,सम्राट नगर,
शाहनुरवाड़ी रोड, औरंगाबाद ,महाराष्ट्र- 431005
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk,
Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road,
AURANGABAD - 431005 (Maharashtra) CIN: U51490MH1970GOI014733

सूचना का अधिकार

भाष नं. / Tel. No. (0240) 2361451 फ़ैक्स नं. (0240) 2361834

साल्वेज/लागड विक्रय हेतु खुली नीलामी

शाखा कार्यालय, औरंगाबाद के अधीन चोपडा केन्द्र पर फसल वर्ष 2020-21 में अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कपास का साल्वेज/लागड 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दिनांक 09.01.2021 को मध्याह्न 2.30 बजे चोपडा केन्द्र पर मेसर्स राज फाइबर्स, चोपडा में बीमा कंपनी के सर्वेयर की उपस्थिति में 'खुली नीलामी' हेतु रखा जा रहा है जिसमें इच्छुक क्रेता भाग ले सकते हैं । खुली निलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि रू.20000/- (बीस हजार मात्र) जोकि दि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद के नाम पर देय हो, निलामी से पूर्व डीडी/बैंकर्स चैक/पी.ओ./चैक द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है ।

नियम एवं शर्तें निगम की वेबसाईट www.cotcorp.org.in या सरकारी वेबसाईट http://www.eprocure.gov.in पर देखी जा सकती है अथवा चोपडा केन्द्र से प्राप्त की जा सकती हैं ।

उप महाप्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

भा.क.नि.
CCI

The Cotton Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)
प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक,सम्राट नगर,
शाहनुरवाड़ी रोड, औरंगाबाद ,महाराष्ट्र- 431005
Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk,
Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road,
AURANGABAD - 431005 (Maharashtra), CIN: U51490MH1970GOI014733
भाष नं. / Tel. No. (0240) 2361451 फ़ैक्स नं. (0240) 2361834

सूचना का अधिकार

दिनांक 09.01.2021 को मध्याह्न 2.30 बजे मेसर्स राज फाइबर्स, चोपडा में साल्वेज/लागड विक्रय हेतु आयोजित खुली नीलामी

नियम एवं शर्तें

1) नीलामी हेतु साल्वेज/लागड का भौतिक निरीक्षण दिनांक 09.01.2021 को प्रात: 9.00 बजे से बोली होने तक किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें सबसे ऊच्चतम बोली को स्वीकार किया जायेगा । खुली निलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि रू.20000/- (बीस हजार मात्र) जोकि दि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद के नाम पर देय हो, निलामी से पूर्व डीडी/बैंकर्स चैक/पी.ओ./चैक द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है ।

2) बोली दर प्रति किलो ग्राम के आधार पर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त सभी कर एवं खर्चे जैसे – वेमेन्ट, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट एवं जीएसटी इत्यादि क्रेता द्वारा अलग से स्वयं वहन किये जायेंगे ।

3) बोली स्वीकार होने के पश्चात अनुमानित कुल राशि की 20% राशि 24 घंटे के अंदर निगम के खाते में ऑन लाईन भुगतान करना होगी तथा संपूर्ण राशि का भुगतान करते हुए साल्वेज/लागड की 3 दिनों के अंदर-अंदर 100% भुगतान देकर सुपुर्दगी लेनी होगी।

4) निगम किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या समुचति बोली न आने पर संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

5) किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम रहेगा एवं औरंगाबाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

उप महाप्रबंधक

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

भा.क.नि. CCI

The Cotton Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

प्लॉट नंबर 27,चन्द्रमौलि बिल्डिंग ,वीर सावरकर चौक,सम्राट नगर,

शाहनुरवाड़ी रोड, औरंगाबाद ,महाराष्ट्र- 431005

Plot No. 27, Chandramauli Building, Veer Sawarkar Chowk,

Samrat Nagar, Shahnoorwadi Road,

AURANGABAD - 431005 (Maharashtra) CIN: U51490MH1970GOI014733

भाष नं. / Tel. No. (0240) 2361451 फ़ैक्स नं. (0240) 2361834

सूचना का अधिकार

साल्वेज/लागड विक्रय हेतु खुली नीलामी

शाखा कार्यालय, औरंगाबाद के अधीन चोपडा केन्द्र पर फसल वर्ष 2020-21 में अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कपास का साल्वेज/लागड 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर दिनांक 09.01.2021 को मध्याह्न 2.30 बजे चोपडा केन्द्र पर मेसर्स राज फ़ाइबर्स, चोपडा में बीमा कंपनी के सर्वेयर की उपस्थिति में 'खुली नीलामी' हेतु रखा जा रहा है जिसमें इच्छुक क्रेता भाग ले सकते हैं ।

नियम एवं शर्तें

1) नीलामी हेतु साल्वेज/लागड का भौतिक निरीक्षण दिनांक 09.01.2021 को प्रात: 9.00 बजे से बोली होने तक किसी भी समय किया जा सकता है जिसमें सबसे ऊच्चतम बोली को स्वीकार किया जायेगा । खुली निलामी में भाग लेने हेतु अमानत राशि रू.20000/- (बीस हजार मात्र) जोकि दि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद के नाम पर देय हो, निलामी से पूर्व डीडी/बैंकर्स चैक/पी.ओ./चैक द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है ।

2) बोली दर प्रति किलो ग्राम के आधार पर ली जायेगी । इसके अतिरिक्त सभी कर एवं खर्चे जैसे – वेमेन्ट, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट एवं जीएसटी इत्यादि क्रेता द्वारा अलग से स्वयं वहन किये जायेंगे ।

3) बोली स्वीकार होने के पश्चात अनुमानित कुल राशि की 20% राशि 24 घंटे के अंदर निगम के खाते में ऑन लाईन भुगतान करना होगी तथा संपूर्ण राशि का भुगतान करते हुए साल्वेज/लागड की 3 दिनों के अंदर-अंदर 100% भुगतान देकर सुपुर्दगी लेनी होगी।

4) निगम किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या समुचति बोली न आने पर संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

5) किसी भी विवाद की स्थिति में निगम का निर्णय अंतिम रहेगा एवं औरंगाबाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

उप महाप्रबंधक